



Neutral Citation No. - 2026:AHC:14617

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट याचिका संख्या - सी - 480 वर्ष 2026

श्रीमती लक्ष्मी देवी और एक अन्य

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: बीरेंद्र प्रताप सिंह, इंद्र कुमार सिंह

प्रतिवादी के अधिवक्ता: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या - 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पांडिया

1. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता और प्रतिवादी संख्या 1 एवं 2 की ओर से उपस्थित विद्वान स्थायी अधिवक्ता की बात सुनी गई और अभिलेख का अवलोकन किया गया।
2. आज पारित किए जाने वाले आदेश के मद्देनजर, निजी प्रतिवादियों को नोटिस जारी करने की आवश्यकता नहीं है।
3. याचिकाकर्ताओं द्वारा इस रिट याचिका में केवल यही प्रार्थना की गई है कि प्रतिवादी संख्या 2 - उप-विभागीय अधिकारी, पटियाली, जिला कासगंज को उत्तर प्रदेश अधिवास अधिनियम और श्रम अधिकार अधिनियम की धारा 229-बी के तहत दायर मामले संख्या टी-2013187521355 (सेवा राम और अन्य बनाम गीता देवी और अन्य) का निपटारा निर्धारित समय सीमा के भीतर किया जाए। यह मामला मोजा-नागला भीम सेन, परगना-सहवार, जिला कासगंज में स्थित है।
4. उपस्थित पक्षों के अधिवक्ताओं की बात सुनी और अभिलेखों का अवलोकन किया।
5. पक्षकारों के अधिवक्ताओं की सहमति से, वर्तमान रिट याचिका का अंतिम निस्तारण करते हुए प्रतिवादी संख्या 2- उप-विभागीय अधिकारी, पटियाली, जिला कासगंज को निर्देश दिया जाता है कि

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"



उपरोक्त मामले का शीघ्र और सकारात्मक रूप से निर्णय ले इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्रस्तुत किए जाने की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर, यदि संभव हो तो, मामले की सुनवाई प्रतिदिन के आधार पर निर्धारित करें। 6. रजिस्ट्रार (अनुपालन) को निर्देश दिया जाता है कि वे इस आदेश की प्रति प्रतिवादी संख्या 2- उप-विभागीय अधिकारी, पटियाली, जिला कासगंज को जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज के माध्यम से एक सप्ताह के भीतर सूचित करें।

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया)

21 जनवरी, 2026

स्वाति

अस्वीकरण

"अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।"